न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, अजमेर

(पीठासीन अधिकारीः— रामचन्द्र, आर0ए0एस0)

अपील संख्याः—247/2013/223 आर.टी.एक्ट (2013/00063)

1. नाहरसिंह पुत्र डूंगरसिंह जाति राजपूत, निवासी लसाडिया, तहसील केकडी जिला अजमेर।

अपीलांट

बनाम

1. सत्यनारायण पुत्र रामदेव(मृतक) जरिए वारिसानः—
   1/1 लाला पुत्र सत्यनारायण
   1/2 धारू पुत्र सत्यनारायण
   1/3 ओमप्रकाश पुत्र सत्यनारायण
2. बदामी बेवा सत्यनारायण
3. सवाईराम पुत्र रामदेव
4. महावीरप्रसाद दत्तक पुत्र बिहारीलाल शर्मा
5. भंवरसिंह पुत्र बालसिंह मृतक जरिए वारिसान—
   5/1 लक्ष्मणसिंह पुत्र भंवरसिंह
   5/2 रामसिंह पुत्र भंवरसिंह
6. श्योराज पुत्र बालसिंह (मृतक) जरिए वारिसानः—
   6/1 शानूकंवर विधवा पत्नि हरीसिंह पुत्रवधु श्योराजसिंह
   6/2 रघुवीरसिंह पुत्र हरिसिंह पौत्र श्योराजसिंह
   6/3 कालूसिंह पुत्र श्योराजसिंह
   6/4 गणेश पुत्र श्योराजसिंह
7. अमरसिंह पुत्र बालसिंह
8. रतनसिंह पुत्र बालसिंह
   समस्त निवासी लसाडिया तहसील केकडी जिला अजमेर।
9. राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार, केकडी।

रेस्पोडेंटस

अपील अंतर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955, विरूद्ध निर्णय दिनांक 15.09.2009 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, केकडी जिला अजमेर, राजस्व वाद संख्या 106/2004

उपस्थितः—

1. श्री जी0एस0 लखावत अभिभाषक अपीलांट
2. श्री विकास पाराशर, राजकीय अधिवक्ता रेस्पोडेंट संख्या 9
3. रेस्पोडेंट संख्या 1/1 से 8 अनुपस्थित

निर्णय

दिनांकः—23.06.2025

1. यह अपील अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, केकडी जिला अजमेर द्वारा प्रकरण संख्या 106/2004 में पारित निर्णय दिनांक 15.09.2009 के विरूद्ध इस न्यायालय मे प्रस्तुत हुई है।

2. प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि अपीलार्थी ने एक राजस्व वाद वास्ते इंद्राज दुरूस्ती बाबत ग्राम लसाडिया तहसील केकडी के खसरा संख्या

745 रकबा 3–17–10 बीघा एवं 748 रकबा 3–17–10 बीघा जिसके वर्तमान खसरा संख्या 1457 रकबा 0.63 है0 है, बाबत प्रस्तुत किया। उपखण्ड अधिकारी ने वाद दर्ज करने के उपरांत प्रतिवादी को जरिए नोटिस तलब किया तथा प्रतिवादी बावजूद तामील अनुपस्थित रहे, तत्पश्चात अपीलार्थी द्वारा साक्ष्य लेखबद्ध किए जाने पर विचारण न्यायालय ने अपीलार्थी का वाद दिनांक 15.09.2009 को खारिज कर दिया। अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, केकडी जिला अजमेर द्वारा प्रकरण संख्या 106/2004 में पारित निर्णय दिनांक 15.09.2009 से असंतुष्ट होकर अपीलांट ने यह अपील न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की है।

3. अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड प्राप्त होने पर प्रकरण में अभिभाषक अपीलांट की बहस सुनी गई। बावजूद सूचना के रेस्पोडेंट संख्या 1/1 से 8 अनुपस्थित।

4. अभिभाषक अपीलांट ने सर्वप्रथम प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम पर निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रकरण वर्ष 2004 से लम्बित चला आ रहा है तथा प्रार्थी वृद्ध व कमजोर होने के कारण प्रार्थी के अभिभाषक ने प्रत्येक पेशी पर न्यायालय में उपस्थित होने की अनिवार्यता नही होने से प्रार्थीगण को आने से मना कर रखा या तथा कथन किया कि आवश्यकता होने पर सूचना देकर बुला लिया जायेगा। तत्पश्चात दिनांक 13.5.2013 को प्रार्थी अपने अभिभाषक से जाकर मिला तो अभिभाषक ने प्रकरण बाबत मालूमात कर बताया कि प्रकरण में निर्णय पारित किया जा चुका है इस पर अभिभाषक प्रार्थी ने प्रमाणित प्रतिलिपि हेतु उसी दिवस को आवेदन किया, जिस पर निर्णय की प्रमाणित प्रतिलिपि प्राप्त हो गई तत्पश्चात समस्त दस्तावेज अभिभाषक को दिखाये, जिस पर प्रार्थी के अभिभाषक ने उक्त निर्णय व डिक्री के विरूद्ध अपील प्रस्तुत करने बाबत कहा, जिस पर अविलम्ब दिनांक 6.6.2013 को अजमेर आकर अभिभाषक से सम्पर्क किया तथा उक्त दस्तावेज प्रदान किये तत्पश्चात आज दिनांक 7.6.2013 को उक्त अपील न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत कर दी गई है। प्रार्थी वृद्ध व असहाय व्यक्ति है तथा अभी हाल में प्रार्थी के पुत्र का अचानक मृत्यु हो जाने के कारण प्रार्थी अब अकेला है सूचना होने पर तत्परता से न्यायिक कार्यवाही में भाग लेना व पैरवी करने में सक्षम नहीं होने से जो देरी हुई है वह सदभाविक है। अतः प्रस्तुत मियाद प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर अपील प्रस्तुती में हुई सदभाविक देरी को माफ किया जाकर अपील को गुणावगुण पर निर्णित किए जाने के आदेश प्रदान करावें।

5. हमने अभिभाषक अपीलांट द्वारा प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम पर की गई बहस पर मनन किया व पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों का अवलोकन किया बाद अवलोकन हमने पाया कि हम प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम का निस्तारण करना उचित समझते है।

R.B.J (5) 1998 PAGE 257- **LIMITATION ACT, 1963-SECTION 5-** *When no notice was served to the aggrieved person - Limitation will start from the date of knowledge.*

चूंकि अपीलांट द्वारा अपने समर्थन में कहे गए कथन सत्य प्रतीत होते है। चूंकि परिसीमा नियमों का अभिप्राय यह है कि वे पक्षकारों के अधिकारो को नष्ट नहीं करे। चूंकि प्रथम अपील पक्षकार का वैधानिक व बहुमूल्य अधिकार है उसे विलंब के कारण समाप्त नहीं किया जा सकता जबकि अपीलांट का दुराशय नहीं है। केवल तकनीकी आधारों पर व्यक्ति को न्याय से वंचित नहीं

किया जा सकता तथा नियमानुसार उक्त प्रार्थना पत्र का निस्तारण गुणावगुण पर ही किया जाना विधिसम्मत है। प्रार्थी द्वारा धारा 5 मियाद अधिनियम में किए गए कथन सदभाविक होने से एवं न्यायहित में अपीलांट का धारा 5 मियाद अधिनियम प्रार्थना पत्र को स्वीकार कर अपील को गुणावगुण पर निर्णित किया जाना उचित समझते हैं।

अतः प्रार्थी/अपीलांट द्वारा प्रस्तुत धारा 5 मियाद अधिनियम के प्रार्थना पत्र में हुई देरी को क्षमा किया जाता है तथा प्रार्थना पत्र को स्वीकार किया जाकर अपील को अंदर मियाद शुमार किया जाता है।

6. विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने दौराने अपील बहस में कथन किया कि उपखण्ड अधिकारी केकडी ने अपना समस्त विवेचन प्रत्यर्थी संख्या 1 व 2 की जाति बलाई होने पर आधारित किया इस कारण उनके द्वारा वाद को स्वीकार नहीं किया जबकि अपीलार्थी का वाद इंद्राज दुरूस्ती बाबत था तथा अपीलार्थी ने अपने पूर्वजों के समय से चली आ रही प्रविष्टि को दुरूस्त करने की प्रार्थना की थी। जो पहले से अस्तित्व में थी। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 42 में जो प्रावधान है वे किसी बेचान आदि द्वारा भूमि को मुंतकिल किए जाने या अंतरण किए जाने पर रोक लगाते है न्यायिक कार्यवाही जो किसी पक्षकार के अधिकारों को औपचारिक उदघोषणा से संबंधित है इन समस्त तथ्यों को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता तथा धारा 42 आरटीएक्ट वर्तमान प्रकरण में किसी भी प्रकार से संदर्भित नहीं है मात्र इस आधार पर वाद का निर्णय किया जाना अवैधानिक है। वादग्रस्त कुल भूमि के 1/2 हिस्से के खातेदार बिहारी पुत्र प्रभू है जो अनुसूचित जाति के नहीं है इस सीमा तक विचार नहीं कर जो निर्णय व डिक्री उपखण्ड अधिकारी केकडी ने पारित किया है वह अवैध होने से निरस्त किए जाने योग्य है। राजस्व अभिलेखों में काश्तकारी बाबत लगातार अंकन वादी/अपीलार्थी का रहा है इन परिस्थितियों में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 15 व 19 के प्रावधानों के अनुसरण में वादी खातेदार रहा है इस कारण इंद्राज दुरूस्ती के आदेश किए जाने विधिसंगत था इस कारण उपखण्ड अधिकारी केकडी द्वारा पारित निर्णय व डिक्री अपील के माध्यम से निरस्त किए जाने योग्य है। अतः न्यायालय से अनुरोध है कि अपील अपीलांट स्वीकार फरमाए व अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, केकडी जिला अजमेर द्वारा प्रकरण संख्या 106/2004 में पारित निर्णय दिनांक 15.09.2009 में पारित निर्णय को निरस्त किए जाने के आदेश न्यायहित में प्रदान करावें।

7. हमनें अभिभाषक अपीलांट की एकपक्षीय बहस पर मनन किया एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों का अवलोकन किया। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अपीलांट द्वारा एक वाद अंतर्गत धारा 88 व 209 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत प्रस्तुत किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण में उभयपक्ष अभिभाषक की बहस सुनने के पश्चात उक्त वाद को दिनांक 15.09.2009 को खारिज किया गया। अपीलांट द्वारा उक्त निर्णय से अंसतुष्ट होकर न्यायालय हाजा के समक्ष अपील प्रस्तुत की है।

अपीलांट द्वारा अपनी अपील के माध्यम से कथन किया गया अपीलार्थी का वाद इंद्राज दुरूस्ती बाबत था तथा अपीलार्थी ने अपने पूर्वजों के समय से चली आ रही प्रविष्टि को दुरूस्त करने का अनुतोष अपील के माध्यम से न्यायालया हाजा से मांगा है। पत्रावली पर उपलब्ध प्रदर्श–1, प्रदर्श–2 व खसरा गिरदावरी संवत 2021–2024 का अवलोकन किया गया तो यह पाया कि उक्त आराजीयात रामदेव वल्द कालू बलाई, बिहारी वल्द प्रभु पुरोहित साकिन देह खातेदार के नाम दर्ज है व बालसिंह, डूंगरसिंह पिसरान मोडसिंह

राजपूत शिकमी काश्तकार के रूप में तीन साल दर्ज है। वादग्रस्त भूमि बाबत पत्रावली में प्रस्तुत राजस्व जमाबंदी से यह स्पष्ट है कि विवादित भूमि अनुसूचित जाति के मूल खातेदार प्रतिवादी संख्या 1 के पिता स्व0 रामदेव की व प्रतिवादी संख्या 4 के पिता बिहारी वल्द प्रभू पुरोहित की खातेदारी की भूमि है तथा वर्किंग जमाबंदी 2041 व आधार जमाबंदी में वर्तमान में मूल खातेदार के वारिस रेस्पोडेंट संख्या 1 व 3 व बिहारी लाल वल्द प्रभु पुरोहित के नाम खातेदारी में दर्ज चली आ रही है। चूंकि वर्तमान अपीलांट के पिता उक्त आराजीयात में शिकमी काश्तकार दर्ज थे। अनुसूचित जाति की खातेदारी की भूमि पर शिकमी काश्तकार व्यक्ति को खातेदार घोषित होने का कोई भी हक अधिकार नहीं है। उक्त आराजीयात बाबत अपीलांट व रेस्पोडेंट के पूर्वजों के मध्य एक इकरारनामा दिनांक 30.04.1993 पत्रावली पर उपलबध है जिसमें वर्तमान रेस्पोडेंट के पूर्वजों की उक्त आराजीयात बाबत स्वीकृति थी कि उक्त आराजीयात को वर्तमान अपीलांट के पूर्वज के नाम दर्ज करा लेवे तो वर्तमान रेस्पोडेंट के पूर्वजों को किसी प्रकार की कोई आपत्ति नहीं है। चूंकि इकरानामा दो पक्षों के मध्य आपस में निर्धारित शर्तों के ऊपर निर्भर करता है व इकरारनामा किसी भी स्थिति में पत्रावली पर उपलबध प्रमाणित दस्तावेजों का स्थान नहीं ले सकता है। न्यायालय हाजा द्वारा प्रकरण में निर्णय प्रमाणित दस्तावेजों के अनुरूप किया है, इसलिए उक्त इकरारनामा प्रभाव शून्य है। चूंकि अपीलांट के पूर्वज उक्त आराजीयात पर शिकमी काश्तकार के रूप में दर्ज थे इसलिए अपीलांट को उक्त भूमि पर खातेदारी घोषणा कराने का कोई भी हक अधिकार नहीं है।

राजस्व मण्डल द्वारा प्रतिपादित न्यायिक दृष्टांत का ससम्मान अवलोकन किया गया – **सरकार बनाम खाचे 1989 आरआरडी 366** *" शिकमी पट्टेदार को कृषक अथवा उपकृषक नहीं माना है क्यों कि उनके पास उत्तराधिकार योग्य अथवा हस्तान्तरणीय अधिकार नहीं है। "*

अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय विस्तृत विवेचन करते हुए पारित किया गया है, व उक्त निर्णय में उनके द्वारा किसी प्रकार की त्रुटि कारित नहीं हुई है। जिसमें न्यायालय हाजा द्वारा किसी प्रकार का हस्तक्षेप किया जाना उचित प्रतीत नहीं होने से उक्त अपील खारिज किए जाने योग्य है।

8. अतः अपील अपीलांट खारिज की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, केकडी जिला अजमेर द्वारा प्रकरण संख्या 106/2004 में पारित निर्णय दिनांक 15.09.2009 को यथावत रखा जाता है। पत्रावली फैसलशुमार होकर नम्बर से कम हों।

(रामचन्द्र)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर

9. निर्णय आज दिनांक 23.06.2025 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(रामचन्द्र)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर